



पत्रांक २०१२/७सी०

दिनांक २० जून २०२५

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।

**विषय:** जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से मैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु २.२०५ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं० ५३१९३/२०२०)।

**संदर्भ:** भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० ०८ बी०/यू०सी०पी०/०६/५५/२०२२/एफ०सी०/१०८३ दिनांक ०७.०७.२०२४ एवं आपका ई०डी०एस० दिनांक १०.०७.२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 0.01 ha instead of 2.205 ha. A clarification and correct information in this regard is shall be submitted.	संशोधित के०एम०एल० फाईल पार्ट । के सैक्शन सी० में अपलोड कर ली गयी है।
2	CA is proposed over Degraded Forest Land whereas it has to be proposed on Non-Forest Land as per the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023.	संशोधित सी०ए० क्षेत्र सिविल भूमि में चयनित कर परिवेश पोर्टल के पार्ट । के सैक्शन एल० में अपलोड कर लिया गया है।
3	Proper alternate alignment with comparative statement has not been submitted, which is required to be submitted.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के पूर्व दिशा की ओर से आ रहे पैदल रास्ते के समानान्तरण वैकल्पिक संरक्षण तैयार किया गया उस वैकल्पिक संरक्षण में अधिक वृक्ष व मोटर मार्ग की लम्बाई अधिक हो जाने के कारण वैकल्पिक संरक्षण को निरस्त किया गया।
4	Reclamation plan for muck dumping area after completion of muck dumping/road construction is not found submitted.	Reclamation plan for muck dumping area पार्ट । के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० ५.२ में अपलोड कर लिया गया है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।